

पर्यावरण और वन मंत्रालय

मांग संख्या 31

पर्यावरण और वन मंत्रालय

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1564.48	113.39	1677.87	2367.38	193.75	2561.13	1810.87	183.55	1994.42	1944.34	205.55	2149.89	
पूँजी	59.67	15.83	75.50	62.62	6.45	69.07	39.13	6.45	45.58	98.66	7.45	106.11	
जोड़	1624.15	129.22	1753.37	2430.00	200.20	2630.20	1850.00	190.00	2040.00	2043.00	213.00	2256.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	42.63	42.63	...	46.24	46.24	...	42.47	42.47	...	48.57	48.57
वानिकी और वन्यजीवन													
2. शिक्षा और प्रशिक्षण													
2.01 राज्य वन रेंजर्स महाविद्यालय	2406	4.82	7.25	12.07	5.85	7.94	13.79	4.49	7.11	11.60	4.75	7.79	12.54
	4406	1.00	...	1.00
जोड़		4.82	7.25	12.07	5.85	7.94	13.79	4.49	7.11	11.60	5.75	7.79	13.54
2.02 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	2406	29.31	12.10	41.41	30.32	12.68	43.00	25.85	13.61	39.46	29.80	14.56	44.36
	4406	2.20	...	2.20
जोड़		29.31	12.10	41.41	30.32	12.68	43.00	25.85	13.61	39.46	32.00	14.56	46.56
2.03 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण	2406	2.08	...	2.08	2.10	...	2.10	3.10	...	3.10	2.50	...	2.50
2.04 भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान	2406	10.50	2.39	12.89	11.18	2.60	13.78	9.75	2.59	12.34	12.00	2.60	14.60
2.05 अन्य सेवा कार्मिक प्रशिक्षण	2406	0.33	...	0.33	0.60	...	0.60	0.39	...	0.39	0.60	...	0.60
2.06 वानिकी कार्मिक का विदेशी प्रशिक्षण	2406	0.02	...	0.02	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
2.07 अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण	2406	0.38	...	0.38	0.20	...	0.20	0.15	...	0.15	0.20	...	0.20
2.08 वन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण तथा कार्मिक प्रशिक्षण													
2.08.01 कार्यक्रम घटक	2406	1.50	...	1.50	0.10	...	0.10	4.00	...	4.00
2.08.02 इएपी घटक	2406	40.32	...	40.32	48.50	...	48.50	8.70	...	8.70	28.00	...	28.00
जोड़- वन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण तथा कार्मिक प्रशिक्षण		40.32	...	40.32	50.00	...	50.00	8.80	...	8.80	32.00	...	32.00
जोड़- शिक्षा और प्रशिक्षण		87.76	21.74	109.50	100.65	23.22	123.87	52.53	23.31	75.84	85.45	24.95	110.40
3. अनुसंधान													
3.01 भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद	2406	110.25	23.37	133.62	136.16	24.10	160.26	111.31	24.10	135.41	130.66	26.00	156.66

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान	2406	7.35	2.20	9.55	7.72	2.30	10.02	6.46	2.26	8.72	7.72	2.30	10.02
जोड़- अनुसंधान		117.60	25.57	143.17	143.88	26.40	170.28	117.77	26.36	144.13	138.38	28.30	166.68
4. वन्य संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग- भारतीय वन सर्वेक्षण	2406	7.26	10.11	17.37	7.78	11.16	18.94	7.78	10.12	17.90	8.24	11.11	19.35
	4406	0.50	...	0.50
जोड़		7.26	10.11	17.37	7.78	11.16	18.94	7.78	10.12	17.90	8.74	11.11	19.85
5. वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन													
5.01 पुनर्जनन-वन प्रभाग का सुदृढीकरण	2406	11.22	...	11.22	29.15	...	29.15	13.10	...	13.10	26.14	...	26.14
	4406	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.54	...	1.54
जोड़		11.42	...	11.42	29.65	...	29.65	13.60	...	13.60	27.68	...	27.68
5.02 वन प्रबंधन को गहन बनाना	2406	0.62	...	0.62	1.80	...	1.80	0.22	...	0.22
	3601	51.00	...	51.00	45.64	...	45.64	38.64	...	38.64
	3602	0.01	...	0.01
जोड़		51.62	...	51.62	47.45	...	47.45	38.86	...	38.86
5.03 राष्ट्रीय वानिकी सूचना प्रणाली	2406	0.07	...	0.07	2.35	...	2.35	1.46	...	1.46	3.50	...	3.50
5.04 गैर-टिम्बर वन उत्पाद स्रोतों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय समन्वित कार्यक्रम	2406	0.13	...	0.13	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
5.05 काष्ठ और गैर काष्ठ वन संसाधनों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम	2406	0.14	...	0.14	0.20	...	0.20	0.02	...	0.02	0.10	...	0.10
जोड़- वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन		63.38	...	63.38	79.85	...	79.85	54.04	...	54.04	31.48	...	31.48
6. वन्य जीव संरक्षण													
6.01 भारतीय वन्य जीव संस्थान	2406	18.28	1.86	20.14	18.99	1.94	20.93	20.28	1.88	22.16	20.99	2.05	23.04
6.02 बाघ परियोजना	2406	1.00	...	1.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
	3601	162.87	...	162.87	155.02	...	155.02	154.29	...	154.29
जोड़		163.87	...	163.87	162.02	...	162.02	161.29	...	161.29
6.03 हाथी परियोजना	2406	0.38	...	0.38	10.00	...	10.00	0.72	...	0.72
	3601	17.97	...	17.97	19.32	...	19.32	19.02	...	19.02
जोड़		18.35	...	18.35	29.32	...	29.32	19.74	...	19.74
6.04 केन्द्रीय वन्य जीव प्राधिकरण	2406	18.50	...	18.50	26.71	...	26.71	22.50	...	22.50	27.50	...	27.50
6.05 वन्य जीव अपराध नियंत्रण	2406	5.48	...	5.48	7.93	...	7.93	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00
6.06 पशुओं का कल्याण	2406	25.09	1.39	26.48	25.20	1.44	26.64	7.40	1.39	8.79	23.20	1.54	24.74
6.07 वन्य जीव निवास का एकीकृत विकास	2406	0.81	...	0.81	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50
	3601	73.80	...	73.80	69.00	...	69.00	62.78	...	62.78

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़	74.61	...	74.61	71.00	...	71.00	64.28	...	64.28	
जोड़- वन्य जीव संरक्षण	324.18	3.25	327.43	341.17	3.38	344.55	301.49	3.27	304.76	79.69	3.59	83.28	
7. प्राणी विज्ञान उद्यान													
7.01 राजस्व व्यय													
7.01.01 कार्यक्रम घटक	2406	0.65	11.87	12.52	1.50	12.85	14.35	1.50	12.49	13.99	1.50	13.42	14.92
7.01.02 घटाइए:गेट प्राप्तियां	0406	...	-5.12	-5.12	...	-4.50	-4.50	...	-4.50	-4.50	...	-4.50	-4.50
कुल		0.65	6.75	7.40	1.50	8.35	9.85	1.50	7.99	9.49	1.50	8.92	10.42
7.02 पूँजी व्यय	4406	2.10	...	2.10	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
जोड़- प्राणी विज्ञान उद्यान		2.75	6.75	9.50	7.50	8.35	15.85	6.50	7.99	14.49	7.50	8.92	16.42
8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2406	...	1.40	1.40	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	2.32	2.32
9. राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी - विकास कार्यक्रम													
9.01 राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी - विकास बोर्ड	2406	10.11	...	10.11	11.74	...	11.74	8.16	...	8.16	11.74	...	11.74
9.02 राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	2406	193.37	...	193.37	243.15	...	243.15	200.49	...	200.49
9.03 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागान विकास निगम	6406	...	11.00	11.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
9.04 हरित भारत मिशन													
9.04.01 हरित भारत मिशन के लिए व्यय	2406	90.00	...	90.00	7.65	...	7.65
9.05 पारिस्थितिकी-विकास बल	2406	15.60	...	15.60	15.60	...	15.60	16.00	...	16.00
जोड़- राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी - विकास कार्यक्रम		203.48	11.00	214.48	360.49	1.00	361.49	231.90	1.00	232.90	27.74	1.00	28.74
जोड़-वानिकी और वन्यजीवन पारिस्थितिकी और पर्यावरण		806.41	79.82	886.23	1041.32	75.11	1116.43	772.01	73.65	845.66	378.98	80.19	459.17
10. सर्वेक्षण													
10.01 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	3435	14.48	25.42	39.90	18.81	27.11	45.92	15.87	26.24	42.11	21.00	27.92	48.92
	5425	1.68	...	1.68	5.00	...	5.00	3.76	...	3.76	22.00	...	22.00
जोड़		16.16	25.42	41.58	23.81	27.11	50.92	19.63	26.24	45.87	43.00	27.92	70.92
10.02 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण	3435	17.14	17.93	35.07	20.55	19.28	39.83	18.61	17.56	36.17	30.70	19.21	49.91
	5425	3.67	...	3.67	3.00	...	3.00	2.37	...	2.37	25.30	...	25.30
जोड़		20.81	17.93	38.74	23.55	19.28	42.83	20.98	17.56	38.54	56.00	19.21	75.21
जोड़- सर्वेक्षण		36.97	43.35	80.32	47.36	46.39	93.75	40.61	43.80	84.41	99.00	47.13	146.13
11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार													
11.01 पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण योजना	3435	49.28	0.03	49.31	48.65	0.04	48.69	44.60	0.04	44.64	50.50	...	50.50
11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	3435	7.70	1.56	9.26	8.62	1.71	10.33	8.11	1.64	9.75	8.00	1.85	9.85
	5425	6.99	...	6.99	9.00	...	9.00	4.50	...	4.50	7.00	...	7.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	जोड़	14.69	1.56	16.25	17.62	1.71	19.33	12.61	1.64	14.25	15.00	1.85	16.85
जोड़- पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार		63.97	1.59	65.56	66.27	1.75	68.02	57.21	1.68	58.89	65.50	1.85	67.35
12. संरक्षण कार्यक्रम													
12.01 जैव मंडल प्रारक्षण	3435	0.35	...	0.35	1.00	...	1.00	0.31	...	0.31
	3601	3.58	...	3.58	5.00	...	5.00	4.75	...	4.75
	जोड़	3.93	...	3.93	6.00	...	6.00	5.06	...	5.06
12.02 क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता	3435	1.50	...	1.50	2.30	...	2.30	1.81	...	1.81	2.40	...	2.40
12.03 मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र एवं नमभूमि	3435	0.59	...	0.59
	3601	11.50	...	11.50
	जोड़	12.09	...	12.09
12.04 कोरल एवं मैंग्रोव संरक्षण	3435	1.18	...	1.18	1.70	...	1.70	0.75	...	0.75
	3601	4.98	...	4.98	5.80	...	5.80	4.49	...	4.49
	जोड़	6.16	...	6.16	7.50	...	7.50	5.24	...	5.24
जोड़- संरक्षण कार्यक्रम		23.68	...	23.68	15.80	...	15.80	12.11	...	12.11	2.40	...	2.40
13. पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय													
13.01 पर्यावरणीय सूचना प्रणाली	3435	6.38	0.41	6.79	9.35	0.63	9.98	8.25	0.61	8.86	9.85	0.63	10.48
13.02 उत्कृष्टता केन्द्र	3435	10.42	1.48	11.90	15.89	1.50	17.39	19.00	1.35	20.35	21.50	1.65	23.15
जोड़- पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय		16.80	1.89	18.69	25.24	2.13	27.37	27.25	1.96	29.21	31.35	2.28	33.63
14. अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्जनन													
14.01 अनुसंधान और विकास	3435	4.22	...	4.22	10.00	...	10.00	5.92	...	5.92	8.25	...	8.25
14.02 जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	3435	11.40	...	11.40	14.47	...	14.47	14.00	...	14.00	15.00	...	15.00
14.03 पारिस्थितिकी-विकास बल	3435	20.60	...	20.60
14.04 राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन	3435	89.40	...	89.40
जोड़- अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्जनन		36.22	...	36.22	24.47	...	24.47	19.92	...	19.92	112.65	...	112.65
15. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	3435	12.58	1.44	14.02	7.05	2.03	9.08	5.95	2.00	7.95	13.00	3.33	16.33
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण													
16. राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम													
16.01 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	3435	6.23	...	6.23	7.05	...	7.05	6.72	...	6.72
16.02 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना													
16.02.01 कार्यक्रम घटक	3435	288.67	...	288.67	203.46	...	203.46	194.16	...	194.16
16.02.02 ईएपी घटक	3435	62.24	...	62.24	315.00	...	315.00	252.08	...	252.08
जोड़- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना		350.91	...	350.91	518.46	...	518.46	446.24	...	446.24

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
16.03	जलीय पारि-प्रणाली के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना	3435	52.38	...	52.38	60.00	...	60.00	48.81	...	48.81
		3601	8.50	...	8.50	5.04	...	5.04
	जोड़	52.38	...	52.38	68.50	...	68.50	53.85	...	53.85
जोड़- राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम		409.52	...	409.52	594.01	...	594.01	506.81	...	506.81
17. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम														
17.01	जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण (उपकर)													
17.01.01	उपकर व्यय	3435	...	158.77	158.77	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00
17.01.02	घटाइए: जल उपकर प्राप्तियों को घटाकर	0045	...	-226.19	-226.19	...	-250.00	-250.00	...	-250.00	-250.00	...	-250.00	-250.00
	कुल	-67.42	-67.42
17.02	पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरण आयोग एवं न्यायाधिकरण की स्थापना	3435	5.67	...	5.67	14.00	...	14.00	18.96	...	18.96	37.13	...	37.13
17.03	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3435	25.50	20.99	46.49	57.72	21.00	78.72	50.00	18.90	68.90	57.92	23.10	81.02
17.04	सामान्य मल-जल शोधन संयंत्रों का संवर्धन	3435	4.20	...	4.20	6.00	...	6.00	5.66	...	5.66	9.00	...	9.00
जोड़- वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम		35.37	-46.43	-11.06	77.72	21.00	98.72	74.62	18.90	93.52	104.05	23.10	127.15	
18. प्रभाव मूल्यांकन														
18.01	पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम	3435	3.15	0.10	3.25	3.68	0.10	3.78	2.26	0.09	2.35	3.68	0.10	3.78
18.02	स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन (डीपीसीटी) तथा अपशिष्ट यूनीकरण कार्यनीतियां (पूर्व में डीपीसीटी)	3435	2.79	...	2.79	4.78	...	4.78	4.78	...	4.78	5.00	...	5.00
जोड़- प्रभाव मूल्यांकन		5.94	0.10	6.04	8.46	0.10	8.56	7.04	0.09	7.13	8.68	0.10	8.78	
जोड़-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण		450.83	-46.33	404.50	680.19	21.10	701.29	588.47	18.99	607.46	112.73	23.20	135.93	
19. अन्य कार्यक्रम														
19.01	प्रदूषण का शमन													
19.01.01	कार्यक्रम घटक	3435	3.54	...	3.54	5.35	...	5.35	1.76	...	1.76	3.85	...	3.85
19.01.02	ईएपी घटक	3435	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़- प्रदूषण का शमन		4.04	...	4.04	5.35	...	5.35	2.76	...	2.76	4.85	...	4.85	
19.02	हानिकारक पदार्थ प्रबंधन													
19.02.01	कार्यक्रम घटक	3435	2.04	...	2.04	7.85	...	7.85	2.87	...	2.87	5.00	...	5.00
19.02.02	ईएपी घटक	3435	22.61	...	22.61	32.00	...	32.00	1.00	...	1.00	20.00	...	20.00
19.02.03	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) घटक													
19.02.03.01	व्यय	3435	10.00	...	10.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
19.02.03.02 एनसीईएफ से पूरा किया गया	3435	-10.00	...	-10.00	
जोड़- हानिकारक पदार्थ प्रबंधन		24.65	...	24.65	39.85	...	39.85	3.87	...	3.87	25.00	...	25.00
19.03 प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	3435	4.72	...	4.72	5.00	...	5.00	2.82	...	2.82	4.00	...	4.00
19.04 भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण समर्थन कार्यक्रम (ईएपी)	3435	0.84	...	0.84
19.05 टैक्सोनोमी-क्षमता निर्माण परियोजना	3435	0.30	...	0.30	1.90	...	1.90	0.20	...	0.20	1.90	...	1.90
19.06 जैव विविधता संरक्षण													
19.06.01 कार्यक्रम घटक	3435	73.14	...	73.14	69.98	...	69.98	39.40	...	39.40	49.00	...	49.00
19.06.02 ईएपी घटक	3435	0.79	...	0.79	2.00	...	2.00	1.10	...	1.10	1.00	...	1.00
जोड़- जैव विविधता संरक्षण		73.93	...	73.93	71.98	...	71.98	40.50	...	40.50	50.00	...	50.00
19.07 सूचना प्रौद्योगिकी	3435	4.40	...	4.40	5.00	...	5.00	3.11	...	3.11	5.00	...	5.00
19.08 सिविल निर्माण एकक	5425	45.03	4.83	49.86	39.12	5.45	44.57	23.00	5.45	28.45	33.12	6.45	39.57
19.09 राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	3435	25.00	...	25.00	125.00	...	125.00	86.68	...	86.68	160.80	...	160.80
19.10 जैव-विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना (ईएपी)	3435	1.35	...	1.35	5.00	...	5.00	9.90	...	9.90
19.11 मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ													
19.11.01 सामान्य घटक	3435	1.50	...	1.50	0.05	...	0.05	1.11	...	1.11
19.11.02 ईएपी घटक	3435	0.57	...	0.57	0.39	...	0.39
जोड़- मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ		1.50	...	1.50	0.62	...	0.62	1.50	...	1.50
जोड़- अन्य कार्यक्रम		184.26	4.83	189.09	299.70	5.45	305.15	173.46	5.45	178.91	286.17	6.45	292.62
20. जलवायु परिवर्तन कार्य योजना	3435	4.45	...	4.45	32.35	...	32.35	4.09	...	4.09	23.00	...	23.00
जोड़-पारिस्थितिकी और पर्यावरण		829.76	6.77	836.53	1198.43	78.85	1277.28	929.07	73.88	1002.95	745.80	84.24	830.04
21. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	190.25	...	190.25	148.92	...	148.92	46.22	...	46.22
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना													
22. वन प्रबंधन की सघनता	2406	1.80	...	1.80
	3601	54.24	...	54.24
	3602	0.51	...	0.51
जोड़		56.55	...	56.55
23. बाघ परियोजना	2406	10.00	...	10.00
	3601	151.02	...	151.02

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
24. हाथी परियोजना	161.02	...	161.02	
	2406	8.00	...	8.00	
	3601	21.08	...	21.08	
	जोड़	29.08	...	29.08	
25. वन्य जीववासों का समेकित विकास	2.00	...	2.00	
	2406	68.15	...	68.15	
	3601	70.15	...	70.15	
26. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	253.15	...	253.15	
27. हरित भारत मिशन	2.00	...	2.00	
	2406	62.00	...	62.00	
	3601	64.00	...	64.00	
	जोड़	0.70	...	0.70	
28. जैवमंडल रिजर्व	6.80	...	6.80	
	3435	7.50	...	7.50	
	3601	1.69	...	1.69	
29. कोरल और मैंग्रोव का संरक्षण	5.80	...	5.80	
	3435	7.49	...	7.49	
	3601	1.00	...	1.00	
30. जलीय पारि-प्रणाली के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना	71.00	...	71.00	
	3601	0.50	...	0.50	
	3602	72.50	...	72.50	
	जोड़	1.50	...	1.50	
31. जैव - विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका सुधार परियोजना (ईएपी)	13.50	...	13.50	
	3435	15.00	...	15.00	
	3601	0.01	...	0.01	
32. ताज संरक्षण मिशन सहित विरासत, तीर्थयात्रा तथा पर्यटन केंद्रों में पर्यावरण संबंधी प्रबंधन	135.55	...	135.55	
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	
जोड़-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना	872.00	...	872.00	
34. वास्तविक वसूलियां	2406	-0.08	...	-0.08	
	3435	-11.94	...	-11.94	
	जोड़	-12.02	...	-12.02	
कुल जोड़		1624.15	129.22	1753.37	2430.00	200.20	2630.20	1850.00	190.00	2040.00	2043.00	213.00	2256.00

विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. वनरोपण एवं वन्य जीव	12406	806.33	...	806.33	1041.32	...	1041.32	772.01	...	772.01	378.98	...	378.98
2. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	817.82	...	817.82	1198.43	...	1198.43	929.07	...	929.07	745.80	...	745.80
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	190.25	...	190.25	148.92	...	148.92	46.22	...	46.22
जोड़ - केन्द्रीय योजना		1624.15	...	1624.15	2430.00	...	2430.00	1850.00	...	1850.00	1171.00	...	1171.00
राज्य योजना:													
1. राष्ट्रीय संसाधनों और वन्य प्रणालियों का संरक्षण	43601	102.00	...	102.00
2. राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन)	43601	373.19	...	373.19
3. एकीकृत वन्य जीवन पर्यावरण विकास	43601	91.23	...	91.23
4. बाघ परियोजना	43601	169.02	...	169.02
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	43601	135.55	...	135.55
जोड़ - राज्य योजना		870.99	...	870.99
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण पद्धति का संरक्षण	43602	0.50	...	0.50
2. राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन)	43602	0.51	...	0.51
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		1.01	...	1.01
जोड़		1624.15	...	1624.15	2430.00	...	2430.00	1850.00	...	1850.00	2043.00	...	2043.00

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2.01. **राज्य वन सेवा रेंजर्स महाविद्यालय:** देहरादून, बर्नीहाट और कोयम्बटूर में 3 केन्द्रीय राज्य वन सेवा अकादमियाँ हैं। ये महाविद्यालय, एस.एफ.एस. अधिकारियों के लिए द्विवार्षिक पाठ्यक्रम चलाते हैं।

रेंजर्स कालेज: एक रेंजर्स कालेज कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। यह कालेज राज्य वन विभागों के रेंज अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

2.02. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी:** यह अकादमी, देहरादून में भारतीय वन महाविद्यालय को प्रोन्नत करके और इसे वन अनुसंधान संस्थान से अलग करके दिनांक 25.05.1987 को सृजित की गई थी। यह अकादमी भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है।

2.03. **आई.एफ.एस. अधिकारियों का प्रशिक्षण:** इस स्कीम के अंतर्गत, आई.एफ.एस. अधिकारियों को वानिकी क्षेत्र में उभरते हुए सुदूर पर सेवा-कालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

2.04. **भारतीय वानिकी प्रबन्धन संस्थान:** यह संस्थान, छठी योजना के दौरान बृहत वनीकरण और विशेष वन कार्यक्रम के साथ-साथ संरक्षण, अधिकतम उपयोग और वन आधारित उत्पादों में स्थान और समय के पार उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने संबंधी प्रबंधकीय दक्षताओं और विशेषज्ञता को विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

3.01. **भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद:** यह परिषद, विद्यमान वन क्षेत्र को संरक्षित करने और वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के विचार से स्थापित की गई थी। दिनांक 1.6.1991 से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को स्वायत्त दर्जा दिया गया है। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, अनुसंधान में उत्कृष्टता का केन्द्र है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न पारि-भौगोलिक क्षेत्रों में आई. सी. एफ. आर. ई. के आठ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान और चार उन्नत अनुसंधान केन्द्र हैं जो इन क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

3.02. **भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान:** इस संस्थान की स्थापना टिम्बर के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु प्लाईवुड उद्योग और भारत सरकार द्वारा 1983 में संयुक्त रूप से की गई थी।

4. **वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोगिता:** भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून नियमित अंतरालों पर विस्तृत वन संसाधन सर्वेक्षण करता है तथा वैज्ञानिक वानिकी आयोजना को सुविधापूर्वक बनाने के लिए पुनर्तालिकाबद्ध बनाने के माध्यम से मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर आयोजना हेतु सूचना देता है।

5. **वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्भव:** यह अनियंत्रित वननाशन तथा वन भूमि के वनेत्तर उपयोग के अपवर्तन को रोकने, वन सुरक्षा बल को सुदृढ़ करने, चराई नियंत्रण, सिर पर लादकर ईंधन लकड़ी को हटाने पर प्रतिबंध और वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु वैकल्पिक ईंधनों की आपूर्ति को अभिजात करने के लिए चालू कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्कीम वन प्रबंधन का तीव्रीकरण है।

6.01. **भारतीय वन्यजीव संस्थान:** यह संस्थान प्रशिक्षण और सेवा-कालीन अधिकारियों को लगातार शिक्षा प्रदान करता है और वन्यजीव में दो-वर्षीय एम.एससी. पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

6.02. **बाघ परियोजना:** यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बाघ के परिरक्षण के लिए है।

6.03. **हाथी परियोजना:** यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हाथी के परिरक्षण के लिए है।

6.04. **केंद्रीय वन्यजीव प्राधिकरण:** यह चिड़ियाघर में जानवरों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए एक केन्द्रीय योजना है।

6.05. **वन्य जीव अपराध नियंत्रण:** यह केन्द्रीय स्कीम वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए है।

6.06. **पशु कल्याण:** इस स्कीम के अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियां आश्रय गृह, पशु जन्म नियंत्रण, टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाएं और राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान की स्थापना हैं।

6.07. **वन्यजीव वास स्थानों का एकीकृत विकास:** यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वन्यजीव वास स्थानों के एकीकृत विकास के लिए है।

9. **राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड:** देश में वनीकरण, वनारोपण, परिस्थितिकीय पुनर्स्थापना और पारि-विकास को बढ़ावा देने के प्रधान लक्ष्य से अगस्त, 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। पश्चिमी हिमालयी, अरावली, पश्चिमी घाटों इत्यादि जैसे पारिस्थितिकीय रूप से दुर्बल क्षेत्रों के साथ-साथ अवक्रमित वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों से लगी भूमि, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक हरित भारत मिशन प्रचलित किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य 5 एमएचए भूमि पर वन/ वृक्ष आवरण में वृद्धि करना और अन्य 5 एमएचए (कुल 10एमएचए) पर वनावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। अन्य उद्देश्यों में कार्बन पृथक्करण में वृद्धि और पारिस्थितिकी में सुधार शामिल हैं।

10.01. **भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण:** भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, द्वारा (क) देश के सम्पूर्ण पौध संसाधनों का सर्वेक्षण (ख) देश की सभी प्राणि-जाति का सम्पूर्ण वर्गीकरणात्मक अध्ययन (ग) सभी संकटापन्न प्रजातियों की सूची की तैयारी और उनके प्रभावी संरक्षण के लिए उपाय (घ) आर्थिक रूप से और अन्यथा, मानवों के लिए उपयोगी पौधों की पहचान, संग्रहण और नमूनों के परिरक्षण की देखरेख के कार्य किए जाते हैं।

10.02. **भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण:** भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, जन्तु-अध्येता सर्वेक्षण और व्यवस्थित प्राणि-विज्ञान, पशु पारिस्थितिकी तथा समुद्री जन्तु सहित पशुओं के विभिन्न समूहों के प्राणि-भूगोल में अनुसंधान कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं (क) प्राणिजात संबंधी संसाधनों की खोज और सर्वेक्षण (ख) वर्गीकरणात्मक अध्ययन और (ग) संकटापन्न प्रजातियों का स्थिति सर्वेक्षण।

11.01. **पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण स्कीम:** यह मंत्रालय, प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से देश की जनता के लगभग सभी आयु वर्गों को पर्यावरणीय शिक्षा देने को प्राथमिकता देता है।

11.02. **राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय:** राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, पारिस्थितिकीय और वन्यजीव के क्षेत्र में विद्यालय जाने वाले छात्रों को गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक केन्द्र है।

12. **संरक्षण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें, कच्छ वनस्पतियों, जैव-मंडल रिजर्वों का संरक्षण और प्रबंधन तथा क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता है।

13. **पर्यावरण आयोजना और समन्वय:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें पर्यावरण सूचना तंत्र (एनविस) और उत्कृष्टता केन्द्र हैं। एनविस के अंतर्गत, पर्यावरणीय सूचना का एकत्रण, मिलान किया जाता है और इसे 67 विषय विशिष्ट एनविस केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से व्यापक रेंज के प्रयोक्ताओं को वितरित किया जाता है।

14. **अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनःउत्पादन:** इन कार्यक्रम के अंतर्गत विविध संगठनों द्वारा शुरु की गई अनुसंधान परियोजनाएं, मंत्रालय द्वारा समर्थित हैं। मंत्रालय पारि-विकास, क्षतिग्रस्त पारि-तंत्र की पुनर्बहाली और अवक्रमित क्षेत्रों के पुनरुद्भव में विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों की अधिक सक्रिय सहभागिता पर बल देता है। इसके अतिरिक्त, अनेक हितधारकों के साथ कार्य करते हुए, मांग द्वारा प्रभावित नवीन अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, फील्ड कार्यों तथा क्षमता निर्माण का समर्थन करते हुए, विशेष रूप से ऊर्जा, जल, वानिकी, पर्यटन, तीर्थ यात्रा, परिवहन, शहरीकरण आदि क्षेत्रों में, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान सहित) किया गया है जिसका उद्देश्य नीतियों, कार्यक्रमों, मिशनों और योजनाओं में पर्वतीय परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाकर भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास में अंशदान करना है।

15. **अंतरराष्ट्रीय समन्वय:** पर्यावरणीय अनुसंधान के विकास, पारि-पुनरुद्भव और कार्यशालाओं/समिनारों में लगे अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और यूएनओ के योगदान के लिए प्रावधान है।

16. **राष्ट्रीय नदियों और झीलों के प्रदूषण की रोकथाम:** गंगा नदी के प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम संबंधी प्रचलित स्कीम के कार्य क्षेत्र को सभी राष्ट्रीय नदियों और झीलों को कवर करते हुए व्यापक किया गया है। राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषित भागों को साफ करने और इसके कार्यान्वयन निरीक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। प्रमुख कार्यक्रम अपवर्तन, सीवर की सफाई और पंपिंग सेटों के नवीकरण से संबंधित है। वे स्कीमें, जिन्हें शुरु किया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार हैं (i) अपशिष्ट जल के नदियों में गिरने से अवरोधन एवं अपवर्तन (ii) जैव-ऊर्जा जैसे संसाधनों की रिकवरी से अपशिष्ट जल का शोधन (iii) अन्य साफ-सफाई संबंधी उपाय जैसे कि कम लागत में साफ-सफाई, जैव संरक्षण इत्यादि। नदी संरक्षण कार्यनीति के नवीकरण और नदी बेसिन आयोजना के समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण संवर्धन हेतु गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) को गंगा नदी के लिए सशक्त आयोजना, वित्त-पोषण, मानीटरिंग और समन्वय प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, 62 शहरी झीलों को और खराब होने से बचाने के लिए अभिजात किया गया है। नदी में बहने वाले सभी सीवरों का 2020 तक उपचार करने के लिए मिशन गंगा प्रारंभ किया गया है।

राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम का समन्वय करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में जलीय पारि-प्रणाली के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना नामक एक नई स्कीम आरंभ की गई है।

17. **वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम:** प्रावधान में शामिल है: राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता अनुदान तथा प्रासंगिक योजनाओं का वित्त पोषण करना। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का दायित्व भी है। प्रावधान के अंतर्गत सामान्य बहिःस्त्राव शोधन संयंत्रों के संवर्धन के लिए प्रदान अनुदान भी शामिल है।

17.02 पर्यावरण प्राधिकरणों और पर्यावरण आयोग तथा अधिकरण की स्थापना: इस प्रावधान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का प्रचालन शामिल है। पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार को लागू करने सहित पर्यावरणीय सुरक्षा और वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा व्यक्तियों और संपत्ति को हुई क्षति और उससे जुड़े अथवा आनुषंगिक मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है।

18.01. **प्रभाव मूल्यांकन:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य योजनाएं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास एवं संवर्धन है। पर्यावरणीय आकलन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 (ईआईए) के प्रावधानों के अनुसार 22 राज्यों/ संघ राज्यों में राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईए) राज्य विशेषज्ञ आकलन समितियां (एसईएसी) गठित की गई हैं। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए दिसम्बर, 2009 में ईआईए अधिसूचना में एक संशोधन किया गया।

18.02. **स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यनीतियां:** बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में निवारण कार्य नीतियों और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण उपशमन की स्कीमों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और उत्पन्न एवं अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यनीतियां नामक एकल स्कीम में मिला दिया गया है।

19. **अन्य कार्यक्रम:** इन स्कीमों अर्थात् ताजमहल की सुरक्षा सहित प्रदूषण के निवारण के लिए सहायता और खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय/राज्य अनुसंधान संस्थानों और अन्य सरकारी एजेंसियों/संगठनों की उनकी तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सहायता करना है।

19.05. **वर्गिकी क्षमता निर्माण परियोजना:** अभिनिर्धारित अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र और वर्गिकी कार्य में अन्तराल और वर्गिकी में क्षमता निर्माण के लिए 'अखिल भारतीय समन्वित परियोजना' तैयार की गई है।

19.06. **जैव-विविधता संरक्षण:** जैव विविधता संरक्षण स्कीम के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण, इसका सतत उपयोग और जैव संसाधनों और जानकारी के उपयोग से उत्पन्न हो रहे लाभों की उचित और सम्यक सहभागिता संबंधी मामले निपटाये जाते हैं।

19.09. **राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम:** मंत्रालय, मछुआरा और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने, तटीय क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए पुनर्व्यवस्थित तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 कार्यान्वित कर रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के लिए इसी उद्देश्य से द्वीप समूह संरक्षण क्षेत्र संबंधी एक अन्य अधिसूचना भी कार्यान्वित की जा रही है। मंत्रालय, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

19.10. **जैव-विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना:** भागीदारी प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए चुनिंदा परिदृश्यों में जैव-विविधता संरक्षण हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना।

19.11. **मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ:** मरुस्थलीकरण और यूएनसीसीडी सचिवालय से संबंधित सभी मुद्दों के समन्वय हेतु मंत्रालय में मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ स्थापित किया है।

20. **जलवायु परिवर्तन कार्य योजना:** जलवायु परिवर्तन के जोखिम की बढ़ती पहचान और घरेलू नीति निर्माण तथा योजना के एक क्षेत्र के रूप में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है।

21. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान: पर्यावरण एवं वन क्षेत्र में स्कीमों हेतु प्रावधान किया गया है।

22-33. राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित योजनाएं: राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।